न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:—84 / 2023

प्रार्थीगण::—

1. बींजाराम पुत्र कालुराम
2. मंगलाराम पुत्र कालुराम
3. लुंबाराम पुत्र रूपाराम
4. कानाराम पुत्र रूपाराम

सभी जाति भील निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. जहुर अहमद पुत्र छोटू खां के कायम मुकाम:—
   - 1 / 1 फारूक पुत्र जहुर अहमद
   - 1 / 2 मुजफर हुसैन पुत्र जहुर अहमद
   - 1 / 3 नुरजहां पत्नी जहुर अहमद
   - 1 / 4 सायरा पुत्री जहुर अहमद
   - 1 / 5 जायदा पुत्री जहुर अहमद
   - 1 / 6 अबीया पुत्री जहुर अहमद
   - 1 / 7 बहीदा पुत्री जहुर अहमद
   - 1 / 8 आलिया पुत्री जहुर अहमद
   - 1 / 9 रूकसाना पुत्री जहुर अहमद
2. रसीद अहमद पुत्र छोटू खां के कायम मुकाम
   - 2 / 1 रईस अहमद पुत्र रसीद अहमद
   - 2 / 2 फातमा पत्नी रसीद अहमद
   - 2 / 3 यासमीन पुत्री रसीद अहमद
   - 2 / 4 बसराह पुत्री रसीद अहमद
   - 2 / 5 रूबीना पुत्री रसीद अहमद
   - 2 / 6 समीना पुत्री रसीद अहमद
3. सबीर अहमद पुत्र छोटू खां
4. सिराज अहमद पुत्र छोटू खां

   सभी जाति मुसलमान निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—1. श्री कपिल श्रीमाली वकील प्रार्थी
2. श्री श्रवण जांगिड़ विप्रार्थी संख्या 3 से 4
3 शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

:: आदेश::

दिनांकः– 11-03-2026

प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 557/64 रकबा 3.2375 हैक्टेयर ग्राम पाबुपुरा तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की पश्चिम की ओर लगती विप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि ख.स. 554/64 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि से होता हुए आगे पाबुपुरा डामर सडक से मिलता है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी विप्रार्थी सं. 1 से 4 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थी संख्या 3 से 4 की ओर से वकील श्री श्रवण जांगिड़ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, दीगर विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:45 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन [illegible] खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार समदड़ी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा पाबुपुरा तहसील समदडी अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं 557/64 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि ख.सं. 554/64 की बदिशा पश्चिम पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को देने हेतु सहमत है, लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि में तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल अनुसार गै.मु. रास्ता घोषित किया जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खातेदारी में आवगमन हेतु प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि से लगता हुई खसरा संख्या 65 निकटतम रास्ता है तथा प्रार्थीगण पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग/उपभोग करते है प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने के नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण के आवगमन हेतु रास्ता उपलब्ध है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के [illegible] में विवेचन किया । तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थीगण पूर्व में [illegible] में से आवगमन करते थे परन्तु उक्त रास्ता कटाण रास्ता नहीं है तथा उक्त रास्ते की भूमि पर निवास स्थित है, तहसीलदार समदडी अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आवागमन हेतु एकमात्र स्त्रोत है, ऐसी सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पाबुपुरा तहसील समदडी की ख.सं. 557/64 में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 554/67 में से लम्बाई 44 गट्ठा व चौडाई 2 गट्ठा रकबा 0.22 बीघा अर्थात 0.0356 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में मे दर्शित बरंग लाल भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार समदड़ी द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को दी जावे, विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा राशि लेने से इन्कार करने की स्थिति उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार समदड़ी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक–राजस्व/2023/589 दिनांक 21.12.2023 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 11.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:45 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा किस्तवार
मौजा - पाबुपुरा
तहसील - समदड़ी
पैमाना - 1इंच = 80 गट्ठा

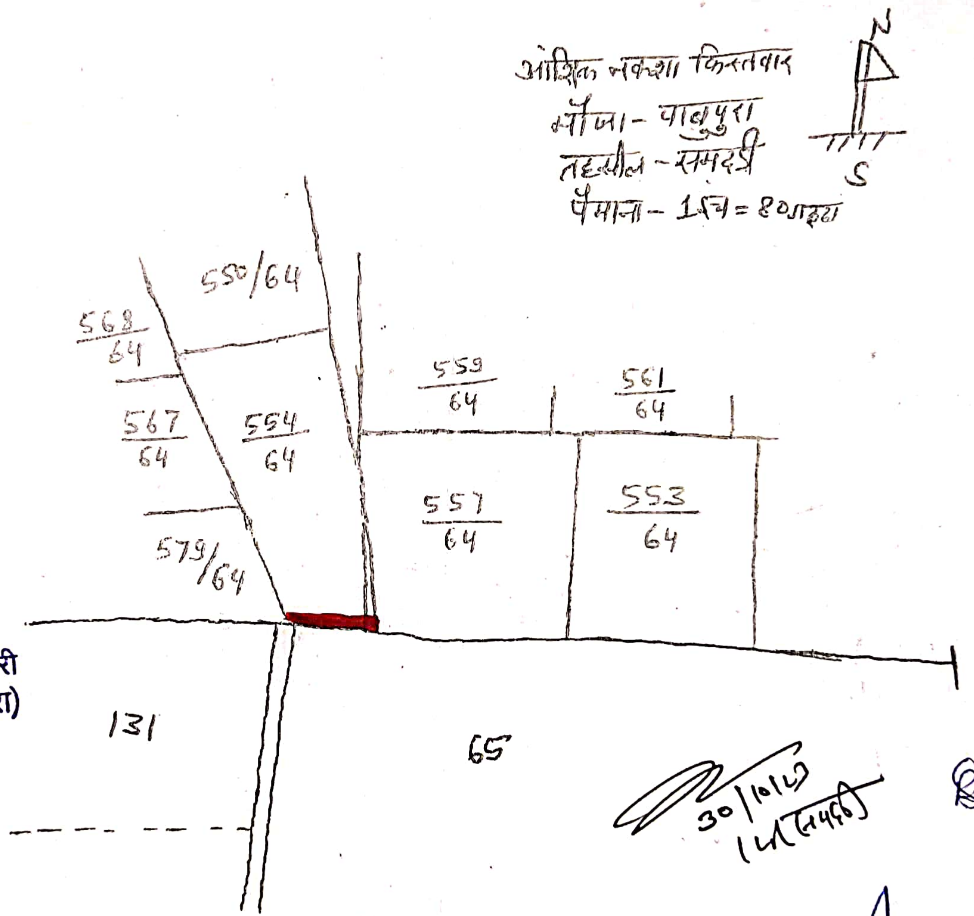

EX-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

मदनलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:45 IST
Reason: SelfAttested